

9
02/11/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

गुण्डा 125AD बनाम सरकार

नाम्बर 764 सन् 2021

किस्मा गुकदमा 136 एल आर एकट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 790

नम्बर व तारीख
अहकाम जौं इस
हुकम की तामील में
जारी किए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौं इस हुकम की तामील में जारी किए
21/11/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>शमशेरुल्लाह</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/542 दिनांक 21/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>तहसील</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>125AD</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2028</u> के खाता सं <u>55</u> में</p> <p><u>कुछण डो जीवन हिस्ता 1/5 चावी नाबी</u> <u>ठा-25 MP खेतवा</u></p> <p>के स्थान पर <u>कुछण लाल डो जीवन शफ कोर</u> <u>ठा-25 MP खेतवा</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>शमशेरुल्लाह</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चके <u>125AD</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2025-2028</u> के खाता सं <u>55</u> में <u>कुछण डो जीवन</u> <u>वावी ठा-25 MP खेतवा 1/5 हिस्ता</u> के स्थान पर <u>कुछण लाल डो जीवन शफ कोर वावी</u> <u>ठा-25 MP</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
21/11/21